लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एफ/युक्तियुक्तकरण/2018/ 685 भोपाल,दिनांक 15-05-2018

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :–शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करना–युक्तियुक्तकरण।
संदर्भ :–म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र./एफ 1–42/2014/20–1,दिनांक 11.04.2017।

....

शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिये संदर्भित पत्र द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत अतिशेष शिक्षकों की उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर पदस्थापना सूची 2 चरणों में जारी की गई है। कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जारी की गई पदांकन सूची के अनुसार समस्त शिक्षकों द्वारा पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया है एवं उनके वेतन का आहरण नव–पदांकित संस्था से किया जा रहा है। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न प्रारूप में प्रमाण–पत्र जिले के प्रभारी अधिकारी के हस्ते दिनांक 18.05.2018 को आयुक्त लोक शिक्षण को उपलब्ध करायेगें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृष्ठा. क्र./शि.क./एफ/युक्तियुक्तकरण/2018/ 686 भोपाल,दिनांक 15-05-2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, स्थानीय लोक शिक्षण म.प्र. कृपया संलग्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर संचालक (प्रशासन) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला..................म.प्र.

विषयः–युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों के वेतन आहरण के संबंध में।

"प्रमाण–पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र./एफ 1–42/2014/20–1, पत्र दिनांक 11.04.2017 के अनुसार जिला..........................में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिशेष घोषित एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर जारी किये गये आदेश के अनुसार पदांकित.....................अतिशेष शिक्षकों के पदांकन आदेश जारी किये गये। जिसके परिपालन में नव पदांकित शालाओं में..................अतिशेष शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है एवं माह–अप्रैल 2018, भुगतान माह–मई 2018 का वेतन आहरण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नव पदांकित संस्था से किया जा रहा है।

2/ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन नीति दिनांक 11.04.2017 की कण्डिका–8 के अनुसार जिला.......................में प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण के उपरांत.......................अतिशेष शिक्षकों को नव पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने के उपरांत अभ्यावेदन मान्य निराकृत करने से उन्हें मूल संस्था में पुनः पदांकित किया गया है।

दिनांक 18.05.2018

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–................................